न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : सत्यनारायण आर.ए.एस.

मे0न0 –12/2022

1. मोहनलाल पुत्र सरवन जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम्

1. कमलादेवी पुत्री सरवन पत्नी गोपालकृष्ण जाति जाट निवासी ख्यालीराम वाली ढाणी सूरेवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ ।
2. गुलजार पुत्र संरवन जाति जाट निवासी कुलचन्द्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
3. उपपंजीयक महोदय, टिब्बी ।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री विजय बैनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
श्री परगजीतसिंह अधिवक्ता अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांकः 27/3/26

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के नाम से संयुक्त खाता में चक 7. सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 153/133 में कुल 4.301 है० नहरी मय गै०मु० खाला, रास्ता में प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 प्रत्येक का 1/7 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है। फोटो कॉपी जमाबन्दी संलग्न प्रार्थना पत्र हैं । प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी पूर्व में प्रार्थी के पिता सरवन उर्फ अर्जन के नाम से दर्ज थी जो उनकी फौलगी के बाद प्रार्थी व अप्रार्थीसं0 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 को विरास्तन प्राप्त आराजी है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है। प्राथी अपने हक व हिस्सा की आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाता चला आ रहा है। प्रार्थी के हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण 3 ता 6 के साथ संयुक्त रहने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण वश प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के मध्य आपस में रकम राज जमा करवाने तथा काश्त के समय सीमा का व रास्ता, खाला आदि का विवाद बना रहता है इसलिए प्रार्थी अपने हक व हिस्सा की आराजी का खाता अप्रार्थीगण व प्रतिवादीगण सं0 3 ता 6 के साथ संयुक्त नही रखना चाहता है व वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी मे से अपने हक व हिस्सा 1/7 हिस्सा की आराजी का खाता अच्छी मन्दी के अनुसार अलग से कायम करवाकर रकम राज अलग से कायम करवाने का अधिकारी व दावेदार है। प्रार्थनापत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 जो कि संयुक्त खाता में दर्ज अपने हिस्सा की भूमि में से रास्ता व खाला की सुविधा के अनुसार बिना खाता विभाजन करवाये अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय करने पर आमादा है तथा अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 मुझ प्रार्थी को ऐलानियां धमकी दे रहे है कि हमने उक्त भूमि को बैचान करने की बात भी गाँव के किसी व्यक्ति से कर ली है। अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 संयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व अन्तरित करने पर आमादा है, अगर अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 अपनी इस मंशा में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थी को कभी ना

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को नाहक मुकदमा बाजी में उलझना पड़ेगा। अतः प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति, तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष मे हैं, ताईद मे हल्फनामा प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी खिलाफ अप्रार्थीगण सं0 1 व 2 इस आशय की जारी की जावे कि संयुक्त खाता में अप्रार्थीगण सं० 1 व 2 अपने हिस्सा की आराजी का खाता विभाजन करवाये बिना चक 7 सीडीआर के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं0 153/133 में कुल 4.301 है0 नहरी मय गै०मु० खाला, रास्ता की भूमि में से किसी भी भू–भाग को रहन, बैय तथा अन्य किसी प्रकार से अन्तरित करने से तथा रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन कराने से ताफैसला मूल वाद ममनू व बाज रहें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया अप्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की चरण स० 1 में वर्णित तथ्य कि वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है, स्वीकार है, लेकिन प्रार्थी को कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। प्रार्थना पत्र की चरण स० 2 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकार्ड के अनुसार स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण स0 2 में वर्णित यह तथ्य कि पूर्व में प्रार्थी के पिता सरवन उर्फ अर्जन के नाम से भूमि दर्ज थी जो उनकी फौत के बाद प्रार्थी व अप्रार्थी स० 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण स० 3 ता 6 को विरासत में प्राप्त आराजी है, स्वीकार है । यह कथन कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है, स्वीकार है। अन्य तथ्य जिस तरह से वर्णित किये गये है, अस्वीकार है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में कौन कौन से किला न0 है व किन–किन किलो को खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहता है । प्रार्थी ने मिथ्या तथ्यों पर हम अप्रार्थीगण स० 1 व 2 के विरूद्ध स्थगन आदेश प्राप्त करने के लिए तथा हम अप्रार्थीगण स० 1 ता 2 को उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि को उपयोग व उपभोग करने से महरूम करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। 4. यह कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में दर्ज संयुक्त खाता में दर्ज चली आ रही है, स्वीकार है तथा अप्रार्थीगण स० 1 व 2 जो कि संयुक्त खाता में दर्ज अपने हिस्सा की भूमि में से रास्ता व खाला की सुविधा के अनुसार बिना खाता विभाजन करवाने व अच्छी किस्म की भूमि को विक्रय करने पर अमादा है, अस्वीकार है । यह कथन कि अप्रार्थीगण स0 1 व 2 मुझ प्रार्थी को ऐलानियां धमकियां दे रहे है कि हमारी उक्त भूमि को बेचान करने की बात चल रही है, अस्वीकार है । यह कथन कि अप्रार्थीगण स० 1 व 2 संयुक्त खाता की भूमि को बिना खाता विभाजन करवाये रहन, बैय व अंतरित करने पर अमादा है, अस्वीकार है। यह कथन कि अगर अप्रार्थीगण स० 1 व 2 अपनी इस मंशा में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपूर्णनीय क्षति होगी व प्रार्थी का कभी भी न पूरा होने वाला नुकसान होगा तथा प्रार्थी को नाहक मुकदमेबाजी में उलझना पड़ेगा, अस्वीकार है । यह कथन कि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है, अस्वीकार है। प्रार्थी तीनो बिन्दुओ को साबित करने में पूर्णतय असफल रहा है। प्रार्थी ने मात्र हम अप्रार्थीगण स० 1 व 2 को उनके हक व हिस्सा की कृषि भूमि का उपयोग करने में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कही भी इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया है कि प्रार्थी के कब्जा काश्त में कौन कौन से किला न0 है व किन–किन किलो को खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहता है । प्रार्थी ने कृषि भूमि खाता विभाजन करवाये बिना रहन, बैय करने के कथन मिथ्या दर्ज किये है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि में कभी भी स्पष्ट किला न0 को न तो विक्रय किया जा सकता है और न ही रहन किया जा सकता है। संयुक्त खाता की कृषि भूमि में हमेशा ही हिस्सा रहन, बैय किया जाता है। प्रार्थी ने मिथ्या तथ्य पेश कर हम अप्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग से वंचित करने के उद्देश्य से माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो कि खारिज किये जाने योग्य है, अगर प्रार्थी के हक व हम अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी जाती है तो हम

सहायक कलेक्टर
दिब्बी

अप्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग के अधिकारो से महरूम हो जावेगे। खाता विभाजन के प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा सहखातेदारो के विरूद्ध प्रार्थी को प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. प्रार्थी खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सुनी गई। हमने प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया, वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायकि दृष्टांत आरआरडी 1988 पेज न0 16 पेश किये, न्यायाकि दृष्टांत का अवलोनक किया गया, हस्तगत प्रकरण में वर्णित आराजी प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण की संयुक्त खाता की खातेदारी की है, उक्त खातेदारी के खाता विभाजन हेतु अन्तर्गत धारा 53,188 आरटीए वाद न्यायालय हाजा में जैरकार है जिसमें साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार निर्णय पारित किया जाना है। इस प्रकम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी करना उचित नही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष में है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है।

प्रथम दृष्टया मामलाः— प्रकरण में विवादित आराजी संयुक्त खाता की भूमि है उक्त भूमि में प्रार्थी एंव अप्रार्थी स0 1 व 2 प्रत्येक का 1/7 की खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकोर्ड है। चूंकि अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी में रिकोर्डेड खातेदार है। जिन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से यदि पाबंद किया जाता है तो उनके अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की पूरी पूरी संभावना है। चूंकि अप्रार्थीगण संयुक्त खाता से किसी विशिष्ट भू भाग का बेचान करते है तो प्रार्थी के अधिकारो पर प्रतिकुल प्रभाव पडने की संभावना है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला उभयपक्ष के पक्ष में साबित है।

सुविधा का संतुलनः— चूंकि अप्रार्थीया ने है अप्रार्थीगण भी विवादित आराजी के अभिलिखित खातेदार काश्तकार है प्रार्थीया के हक हिस्सो व खाता विभाजन बिन्दु का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य सबूतो एंव गुणावगुण के आधार पर तय होना है यदि उक्त आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है अप्रार्थीगण को अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग उपभोग में असुविधा होगी इसलिए सुविधा का संतुलन भी आंशिक अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित है।

अपूर्णीय क्षतिः— चूंकि प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होने के कारण अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी।

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आरटीए आंशिक स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है कि वे संयुक्त खाता की आराजी में विशिष्ट किलो को रहन बैय अन्तरित नही करेगे व लेकिन अपने हिस्सा की आराजी को रहन बैय करने के लिए स्वतंत्र रहेगे।

यह निर्णय आज दिनांक 27/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आर ए एस)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी